

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को०-20/2017-
प्रेषक,

3559

/कृ०, पटना, दिनांक 01/10/2018

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय : फसल अवशेष के संरक्षण, पुनर्चक्रण एवं प्रबंधन विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Conservation, Recycling and Management of Crop Residues) के आयोजन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 17.75 लाख (सत्तरह लाख पचहत्तर हजार) रु० सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष के संरक्षण, पुनर्चक्रण एवं प्रबंधन विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Conservation, Recycling and Management of Crop Residues) के आयोजन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 17.75 लाख (सत्तरह लाख पचहत्तर हजार) रु० सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. फसल अवशेष के जलाने की समस्या एक गंभीर समस्या है। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल की आवश्यकता को देखते हुये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सीखने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के पत्रांक 168/V.C दिनांक 27.08.2018 से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में दी जा रही है। सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुमानित व्यय का आकलन अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। स्वीकृत राशि का व्यय विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार में विहित वित्तीय प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मद्दार कर्णांकित राशि में स्वीकृत राशि की सीमा में संशोधन किया जा सकेगा।

4. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा, (राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415012770108, विषय शीर्ष-0108.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।	2158.00	14.73
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01,	416.00	2.84

उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017890103, विषय शीर्ष-0103.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।		
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष- 0104-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017960104, विषय शीर्ष-0104.31.06, सहायक अनुदान- गैर वेतन।	26.00	0.18
कुल	2600.00	17.75

5. स्वीकृत राशि 17.75 लाख (सतरह लाख पचहत्तर हजार) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति दिनांक 10.09.2018 को संचिका संख्या- 4/कृ०शि०को०- 20/2017 के पृ०सं०- 08/टि० पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०- 20/2017 के पृ०सं०-09/टि० पर दिनांक- 19.09.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

R. Bindu
28-9-18


(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-20/2017- 3559 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018


प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28-9-18
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-20/2017- 3559 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018


प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28-9-18
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-20/2017- 3559 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018


प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28-9-18
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4/कृ०शि०को०-20/2017- 3559 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि:- मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


28-9-18
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

**Estimated budget for International Conference on Biomass Management
and Conservation Agriculture for Improving Livelihood, Environmental
Health and Addressing Climate Change**

Sl. No.	Particular	Rate	Total
	TA/DA for invitees outside the state	30,000/- person (for 10 persons)	3,00,000
	TA/DA for invitees from Bihar	6,000/- person (for 25 persons)	1,50,000
	Food and refreshment	1200/- person per day (for 250 participants for 2 days)	6,00,000
	Stage and event management	for 2 days	75,000
	Souvenir and other publication	500/- copy (300 copies)	1,50,000
	Brochure and publicity		30,000
	Memento & Shawl for felicitation	1,500/- person (for 30 person) + 5000/- each special guest (6 special guests)	75,000
	Event recording and documentation	10,000	10,000
	Accommodation of special invitees	2,000 per day/person	60,000
	POL/Vehicle		50,000
	Cultural Programme		75,000
	Registration Kit	Rs. 800 per kit (for 250 kits)	2,00,000
	Miscellaneous		50,000
	Total		17,75,000

